

डिकी बमुकदमें इब्तदाई
(आदेश 20 नियम 6.7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत (उपखण्ड अधिकारी) मुकाम जायल जिला-नागौर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प ग्राम पंचायत-जायल

मु0न0 279 / 2017

वादीगण-

1. रामदेव
2. सुरेश
3. गजेन्द्र पुत्रगण हड़मानराम जाति जाट निवासीगण जायल, तहसील जायल जिला नागौर।
4. सोहनी पत्नी हड़मानराम

बनाम

प्रतिवादीगण-

1. राधा
2. रूकमा
3. पूनम
4. सीमा
5. पुजा
6. निरमा पुत्रिया हड़मानराम जातियान जाट निवासी जायल तहसील जायल जिला नागौर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

वाद बाबत बंटवाडा खेताय घोषणा खेताय अन्तर्गत धारा 53,88
राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955


निर्णय दिनांक :-23.05.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी अधिवक्तागण वादी व प्रतिवादी स्वयं की उपस्थिति मे हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-

1. वादीगण संख्या 1 से 3 के हक बंट में मौजा जायल का खेत ख नं 2467 रकबा 08.16 बीघा तथा ख नं 4450/2690 रकबा 04.18 बीघा में से 04.08 बीघा भाग व ख नं 4449/2692 रकबा 06.02 बीघा पूरे रखे जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. वादी संख्या 4 व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 के हक बंट में मौजा 4450/2690 रकबा 04.18 बीघा में से 0.10 बीघा भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार जायल को डिकी पर्चा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु तहरीर जारी हो।


लीज x मुबलिक x बाबत x खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर x फीस सदी सालाना आज की तारीख,तारीख वसूल योगो तक x को अदा करें। बसीबा मेरी दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 23.05.2018 को जारी किया गया।



बन्व सदस्य


उपखण्ड अधिकारी

मुद्दे	राजस्व लोक अदालत जायल (नागौर)	मुदायला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प बकालतनामा		स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह साबूत		मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील		खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन		फीस कमीनर		
फीस कमीनर		बाबत इजराय हुक्मीजान		
बबत इजराय हुक्मीजान		मुतफरिफ		
मुतफरिफ				

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह दो फरीकन को चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं करना चाहिये।


बन्व सदस्य
राजस्व लोक अदालत
जायल (नागौर)


उपखण्ड अधिकारी, जायल
उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर